

5
निगा-3595 / 2018/ रीवा/भू-प्र०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट रीवा

जिला -रीवा (म०प्र०)



पुष्पेन्द्र तिवारी तनय श्री लालमणि तिवारी निवासी ग्राम मनकहरी तहसील हुजूर
जिला-रीवा (म०प्र०) —————निरगानीकर्ता

बनाम

- 1- श्रीमती मालती सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह
 - 2- श्रीमती सुधा सिंह पत्नी राजभान सिंह
- उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम हरिहरपुर (अजगरहा) तहसील हुजूर
जिला-रीवा (म०प्र०)
- 3- मुस० चन्द्रवती तिवारी पत्नी स्व० बसन्तराम तिवारी
 - 4- श्रीमती केशकली पत्नी इन्द्रपाल चतुर्वेदी पुत्री बसन्तराम तिवारी
- उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम मनकहरी तहसील हुजूर जिला-रीवा (म०प्र०)

—————गैरनिरगानीकर्ता

निरगानी विरुद्ध आदेश
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा
जिला-रीवा म०प्र० के अपीली
प्र०क०-10/9-अपील-2017-1
8 में पारित आदेश दिनांक-28.
03.2018

निरगानी अंतर्गत धारा 50
म०प्र०भू०रा०संहिता 1959ई।

मान्यवर,

निरगानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र०
द्वारा राजस्व अपीली प्रकरण कमांक-10/9-2017-18 में पारित आदेश

पुष्पेन्द्र तिवारी


(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0-3595/2018/रीवा/भू-रा0

जिला-रीवा

पुष्पेन्द्र तिवारी / श्रीमती मालती सिंह

(1)	(2)	(3)
<p>18.12.18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री जसराम विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 10/9/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.06.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	